विचार बिन्दु

भातृभाव का अस्तित्व केवल आत्मा में और आत्मा के द्वारा ही होता है, यह और किसी के सहारे टिक ही नहीं सकता। –श्री अरविंद

तकनीक की चमक में खोया मानवीय स्पर्श

तकनीक ने हमारे जीवन को इतना अधिक सुगम बना दिया है कि अब इस बात को दोहराना भी अनावश्यक–सा लगता है। यदि आप तकनीक से थोड़ी–सी भी दोस्ती रखते हैं, तो अपने घर, बल्कि अपने कमरे से बाहर निकले बिना ही आप लगभग हर काम कर सकते हैं। बिल जमा करना हो, किसी को भुगतान करना हो, बस–रेल–हवाई जहाज का टिकट बुक करना हो, थिएटर या सिनेमा में सीट आरक्षित करनी हो, बिजली–पानी–टेलीफोन से संबंधित शिकायत दर्ज करनी हो, घर का कोई काम करवाना हो, मालिश या सौंदर्य देखभाल जैसी सेवाएँ लेनी हों, या बाहर जाने के लिए ऑटो–टैक्सी बुलानी हो–ये सारे और ऐसे अनगिनत काम तकनीक की मदद से बिना अपनी जगह से हिले आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यह सुविधा तभी संभव है, जब आप तकनीक के साथ सहज हों। यदि आपने तकनीक से दूरी बनाए रखी है, चाहे कारण जो भी हो, तो ये सुविधाएँ आपके लिए सुलभ नहीं होंगी। साथ ही, यदि आप किसी छोटे कस्बे या गाँव में रहते हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कुछ सुविधाएँ अभी वहाँ उपलब्ध न हों। फिर भी, तकनीक का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिस तरह आज न्यूयॉर्क और दिल्ली, या दिल्ली और जयपुर के बीच सुविधाओं का अंतर कम हो गया है, उसी तरह शीघ्र ही शहरों और गाँवों का अंतर भी घटने की उम्मीद है।

तकनीक ने हमारी खरीदारी के तौर–तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। पहले, हर छोटी–बड़ी चीज के लिए हमें बाजार जाना पड़ता था। आज, धनिया–मिर्ची से लेकर फ्रिज–टीवी तक, सब कुछ ई–कॉमर्स साइट्स पर आसानी से उपलब्ध है। कई बार यह सामान बाजार से सस्ते दामों पर मिल जाता है, और अगर पसंद न आए, तो उसे बिना किसी परेशानी के बदलने या लौटाने की सुविधा भी मौजूद है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर नोटिस लगा दिए हैं:– कृपया हमारी कीमतों की तुलना अमेजन/फ्लिपकार्ट की कीमतों से न करें। यह एक अलग चर्चा का विषय है कि ये ई–कॉमर्स साइट्स बाजार से सस्ता सामान कैसे उपलब्ध करा पाती हैं।

बड़े शहरों में, जहाँ ट्रैफिक की स्थिति दिन–ब–दिन बदतर होती जा रही है, ये ऑनलाइन सुविधाएँ वरदान साबित हो रही हैं। भारतीय सामाजिक संरचना में आए बदलावों ने भी इन सुविधाओं को अपरिहार्य बना दिया है। खासकर उन परिवारों में, जहाँ पति–पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, विशेष रूप से निजी या कॉरपोरेट क्षेत्र में, वहाँ समय की कमी एक बड़ी चुनौती है। सरकारी नौकरियों में शायद कुछ समय मिल भी जाए, लेकिन निजी क्षेत्र में समय सबसे बड़ी विलासिता है। ऐसे में, ये तकनीकी सुविधाएँ जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू उतना उज्ज्वल नहीं है। तकनीक ने हमें सुविधाएँ तो दी हैं, लेकिन हमें समाज और देश–दुनिया से काट भी दिया है। मनुष्य का मनुष्य से संबंध जैसे खत्म–सा हो गया है। आप तकनीक के माध्यमों से सेवाएँ तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनमें मानवीय स्पर्श का अभाव है। मैं अपने कमरे में बैठकर सारे काम कर लेता हूँ, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संपर्क नहीं होता। पहले कॉल सेंटर्स के माध्यम से, टेलीफोन पर ही सही, किसी इंसान से बात तो हो जाया करती थी। अब चैटबॉट्स ने वहाँ से भी मनुष्यों को हटा दिया है। किसी सेवा प्रदाता से शिकायत करने पर आपका सामना अक्सर 'एक दबाएँ, दो दबाएँ' वाली यांत्रिक प्रक्रिया से होता है, और दूसरी ओर कभी भी कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता जो आपकी बात सुने या समझे।

तकनीक ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, लेकिन इसे नीरस और निष्प्राण भी बना दिया है। मानवीय स्पर्श बहुत तेज़ी से लुप्त हो रहा है। मनुष्य की जगह यंत्र ले रहे हैं, और चिंता की बात यह है कि यह यांत्रिकता हमारे जीवन में भी समा रही है। एक घर में चार लोग हों, तो सभी अपनी-अपनी स्क्रीन में डूबे रहते हैं। पति-पत्नी, माता-पिता और बच्चों, या भाई-बहन के बीच संवाद कम हो गया है। त्योहारों पर भी शुभकामनाएँ अब कॉपी-पेस्ट संदेशों या इमोजी तक सिमट गई हैं। शुभकामनाएं देना-लेना एकदम मशीनी हो गया है उसमें कोई आत्मीयता नहीं रह गई है।

जरा उस समय को याद करें, जब ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। हम बैंक में पैसे जमा करने या निकालने जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, और काउंटर पर बैठे कर्मचारी से दुआ–सलाम होती थी। बिजली, पानी, या टेलीफोन का बिल जमा करवाते समय भी यही आत्मीयता मिलती थी। पुराने जमाने में टेलीफोन ऑपरेटर से दोस्ती होती थी, जो जरूरत पड़ने पर हमारा कॉल पहले लगा देता था। बाजार की दुकानों से हमारा आत्मीय रिश्ता होता था। दुकानदार हमारे सुख–दुख में शामिल होते थे। मेरा काफी समय सिरोही जैसे छोटे कस्बे में बीता है। वहाँ किराने की दुकान का मालिक मुझे चाय और सिगरेट पिलाए और थोड़ी गपशप किए बिना दुकान से उठने ही नहीं देता था। मेरे घर के पास एक जनरल स्टोर था, जहाँ से मैं जरूरत का सामान खरीदता था। दिवाली के बाद जब मैं दुकानदार को शुभकामनाएँ देने जाता, तो वह मुझे साल में एक बार सिगरेट ऑफर करता। आज वह आत्मीयता मुझे बहुत याद आती है। अमेजन से मैं कितना ही सामान खरीद लूँ, वहाँ मुझे कोई नहीं जानता।

हालांकि, ई–कॉमर्स साइट्स ने किताबें खरीदना आसान बना दिया है, लेकिन जयपुर में शेखर की दुकान पर जाकर उससे गपशप करते हुए और बहुत सारी किताबों के पन्ने पलट कर कोई एक या दो किताबें खरीदने का सुख अब खो गया है। शेखर कहता था, यह किताब ले जाओ, पढ़कर लौटा देना, और मैं जिद करके पैसे देता। कई बार वह अपनी पसंद की किताबें पढ़ने की सलाह देता, जिसके कारण मैंने कई महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय किताबें पढ़ीं। भला अमेज़ॉन मुझे यह सुख दे सकता है?

ई–कॉमर्स साइट्स की लोकप्रियता में हमारे व्यापारियों की भी भूमिका है। उनका रूखा व्यवहार और ग्राहकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी की ओर धकेल रहा है। व्यापारियों को इस पर विचार करना होगा कि वे अपने व्यवहार और व्यावहारिकता से ग्राहकों को कैसे आकर्षित करें। थोड़ा–सा प्रयास करके और अपने व्यवहार में बदलाव लाकर वे ई कॉमर्स साइट्स को गम्भीर चुनौती दे सकते हैं। हममें से हरेक वैयक्तिक स्पर्श को पसंद करता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत है, और यह काम सरकार, व्यापारिक संगठन, और स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलकर करना होगा। अभी तो अधिकांश दुकानदार बहुत ही रूखा व्यवहार करते हैं। उनका टोन यह होता है कि सामान बेचकर आप पर उपकार कर रहे हैं। इस रवैये को बदले बग़ैर स्पर्धा में उनका टिका रहना नामुमकिन होगा। यदि व्यापारियों ने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया, तो इसका बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। तमाम आंकड़े ये बताते हैं कि ई कॉमर्स साइट्स उनसे उनका व्यापार छीनती जा रही हैं।

तकनीक ने हमारे जीवन को सुगम बनाया है, लेकिन इसे नीरस और निष्प्राण भी बना दिया है। मानवीय स्पर्श बहुत तेज़ी से लुप्त हो रहा है। मनुष्य की जगह यंत्र ले रहे हैं, और चिंता की बात यह है कि यह यांत्रिकता हमारे जीवन में भी समा रही है। एक घर में चार लोग हों, तो सभी अपनी–अपनी स्क्रीन में डूबे रहते हैं। पति–पत्नी, माता–पिता और बच्चों, या भाई–बहन के बीच संवाद कम हो गया है। त्योहारों पर भी शुभकामनाएँ अब कॉपी–पेस्ट संदेशों या इमोजी तक सिमट गई हैं। शुभकामनाएं देना–लेना एकदम मशीनी हो गया है उसमें कोई आत्मीयता नहीं रह गई है। कई बार हम किसी संदेश को पूरा पढ़े बिना ही प्रतिक्रिया दे देते हैं, जिससे अजीब स्थितियाँ बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी मित्र ने अपने परिजन की तस्वीर पोस्ट की, और किसी ने बिना पूरा संदेश पढ़े ही 'विनम्र श्रद्धांजलि' लिख दिया, जिसके बाद ऐसी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

इस यांत्रिकता का एक और पहलू है। ये सुविधाएँ पश्चिम से आई हैं, जहाँ काम करने वाले हाथों की कमी है। लेकिन भारत में स्थिति उलट है। हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक है, और हम पहले से ही बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तकनीक और मशीनीकरण इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं, क्योंकि पहले मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले काम अब यंत्रों से हो रहे हैं। निश्चित रूप से, तकनीक का उपयोग जरूरत पड़ने पर करना चाहिए। यह हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। लेकिन इसका दास बन जाना या बिना जरूरत के इसका उपयोग करना हमारे हित में नहीं है। हमें तकनीक और मानवीय संबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा। सुविधा और आत्मीयता दोनों का समन्वय ही हमें एक सार्थक और संपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

आरक्षण..... अक्षय, सनातन

राम निवास बैरवा

आरक्षण के बहाने पूरे भारत के गली–कूंचों में सामाजिक विद्वेष की भड़ास निकालने का दौर चल रहा है। सामाजिक विद्वेष की भड़ास निकालने की यह बीमारी सरकार और कार्यपालिका के शीर्ष स्तर तक फैली हुई है। भड़ास निकालने वाले अपनी बात को संवैधानिक रूप से सही साबित करने के लिए संविधान के निर्माण का श्रेय अंबेडकर के बदले बी.एन. राव को दिये जाने का अविवेकपूर्ण प्रयास भी किया गया है। लेकिन संविधान की छाया में रह कर संविधान को नकारना बारिश में फटी छतरी ओढ़ने जैसा है। बरहाल ऐसे लोगों के साथ तर्क–वितर्क करने की, विचार–विमर्श की कोई गुंजाइश भी नहीं है।

मदन मोहन मालवीय, मोहनदास गांधी, भीमराव अंबेडकर आदि बेवकूफ थे जिन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे; संविधान सभा के 300 के लगभग सदस्य नालायक थे जिन्होंने संविधान में आरक्षण की बात स्वीकार की तथा राज्यों की नीति के निदेशक तत्वों में सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने का दायित्व सरकारों पर डाला था। जिन लागों का सैद्धान्तिक और विचारात्मक रूप से पूना पैक्ट और संविधान निर्माण से दूर–दूर तक भी संबंध नहीं था, वे ही संविधान की छतरी को तार–तार करके उसमें अपने सत्ता–सुख और सामाजिक विद्वेष को जीवन दान देना चाहते हैं, यह सम्भव नहीं हो सकता।

आरक्षण को आज लोकतान्त्रिक संविधान में स्थान दिया गया है उसकी साफ तौर पर व्याख्या भूतकाल की व्यवस्था, वर्तमान के उत्तरदायित्वों और भविष्य के समाज की रूपरेखा को व्यक्त करती है। और बहुत हद तक वर्तमान शासन व्यवस्था को बनाये और उसे बचाये रखने का भी संदेश है– बचाये रखने का संदेश इस मायने में कि सामाजिक विसंगतियों के चलते सम्भावित क्रान्तियों से सरकार और समाज को बचाये रखना है।

समाज और राजनीति में एकाधिकार आरक्षण का सनातन रूप हैं, जिसमें समाज के बहुत बड़ी आबादी को सम्मानजनक सामाजिक जीवन और राजनीतिक भागीदारी से दूर रखा जाता है। लोकतन्त्रों में यदि किसी वर्ग विशेष को आरक्षण दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि वह विशाल आबादी उस व्यवस्था को स्वीकार कर रही है, वह उस समाज और व्यवस्था के खिलाफ क्रान्ति जैसी परिवर्तनकारी भूमिका निभाने को तैयार नहीं है।

यह सत्ताधारी एकाधिकार प्राप्त वर्गों का सौभाग्य है कि वर्तमान संविधान ने उनके एकाधिकार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है, तथा क्रान्ति के संवाहक लोगों को धर्म और जातियों में विभाजित करके सत्ताधारी वर्गों के एकाधिकार में से कुछ पदों पर उन्हें आरक्षण के माध्यम से अपने एकाधिकार को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। जबकि जिन्हें आरक्षण दिया गया है उन लोगों को सामुदायिक रूप से उस मात्रा में भागीदारी नहीं मिली है, जिसे हम नौकरियों में आरक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्राथमिकताएं मिलने के रूप में देखते हैं जिससे कि वे प्रशासन एवं अन्य क्षेत्रों में कुछ सीमा तक भागीदार बन सके।

आरक्षण को संविधान में दो भागों में बांटा गया है, पहला– राजनीतिक, जो कि चुनावों के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के लिए है। यह आरक्षण सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में चुने जाने में निहित है और वह आरक्षण मूल रूप से केवल दस वर्षों के लिए था। लेकिन इस राजनीतिक आरक्षण से राजनीतिक पार्टियों के हित साधन के लिए उनको 27–30 प्रतिशत मूक समर्थक मिल जाते हैं अत: कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती कि अब वह आरक्षण खतम हो। इसी स्वार्थ परकता के चलते इसे हर दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया जा रहा है– (अनुच्छेद, 330; 332; 334)।

इसके विपरीत, सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 339, 341 व 342 में प्रावधान किये गये हैं। जब शिक्षा के मापदण्ड अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लोग पूरा नहीं कर पायेंगे तो उनका उन पदों पर वैसे भी चयन कठिन है। वहीं, दूसरी तरफ, नौकरियों में नियुक्तियां देने का अधिकार उन्हीं एकाधिकार प्राप्त लोगों का मिला हुआ है। वे अपने सामाजिक पूर्वाग्रहों से बाहर निकल कर कैसे उन्हें अपने समकक्ष बिठा पायेंगे। ऐसी दशा में योग्यता–अयोग्यता का पैमाना और उसका फैसला उन्हीं अधिकारियों के पास होने के कारण संविधान की उक्त अपेक्षाएं नकारात्मक परिणाम दे रही हैं।

लेकिन फिर भी आरक्षण को इस तरह से लिया जा रहा है जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोग उनके एकाधिकार को चुनौती हैं और हर तरह से कोशिश की जाती है कि वे प्रशासन में उस मात्रा में और उस स्तर भागीदार नहीं बने जहाँ उनकी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित कर सके। यहाँ तक उनके आरक्षण को नकारात्मक बनाने के लिए संविधान की रक्षक न्यायपालिका भी उतर चुकी है। इस प्रकार के आरक्षण को और भी कमजोर और नकारात्मक बनाने के लिए अनिवार्य सक्षम शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों को खतम किये जा चुके हैं वह चाहे फीस आदि की वृद्धि के द्वारा हो या प्रवेश को सीमित करके हो या सरकारी शिक्षा संस्थानों को बंद करके हो।

अच्छा है! आरक्षण का दान देने वाले एकाधिकार प्राप्त प्रशासनिक–राजनीतिक अधिकारी अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो एक दिन ये जातियां मजदूर–किसानों के रूप में एकबद्ध होकर क्रान्ति के मार्ग पर चलकर उनके एकाधिकार को पूरी तरह खतम कर देंगे। सब परिस्थितियां भविष्य के गर्भ में है, समाज और राजनीति को किस दिशा में ले जाती हैं, भविष्य ही बतायेगा।

–राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अंध भक्त और अंध विश्वास

अशोक कुमार

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में संवाद का सबसे शक्तिशाली माध्यम भाषा है। भाषा न केवल विचारों को व्यक्त करती है, बल्कि यह हमारी सामाजिक चेतना, मूल्यों और दृष्टिकोणों को भी दर्शाती है। हाल के वर्षों में, सार्वजनिक विमर्श और राजनीतिक बयानबाजी में कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग बढ़ा है, जो अपनी अभिव्यक्ति में भले ही राजनीतिक या वैचारिक आलोचना करते हों, लेकिन जिनका अंतर्निहित अर्थ समाज के एक विशेष वर्ग, विशेष रूप से दिव्यांग समुदाय, के प्रति अपमानजनक या असंवेदनशील हो सकता है। ऐसे ही दो प्रमुख वाक्यांश हैं: 'अंध भक्त' और 'अंध विश्वास'!

1. भाषा और दिव्यांगता: उपमाओं का अनैतिक प्रयोग

अंध भक्त और अंध विश्वास जैसे वाक्यांशों में अंध शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति की तर्कहीनता, विवेक की कमी, या तथ्यों की अनदेखी को दर्शाने के लिए एक उपमा के रूप में किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को अंध भक्त कहते हैं, तो हमारा तात्पर्य होता है कि वह व्यक्ति बिना सोचे–समझे, आँख मूंदकर किसी का अनुसरण कर रहा है। इसी प्रकार, अंध विश्वास का अर्थ है किसी बात पर बिना किसी तार्किक आधार के भरोसा करना। सतह पर, ये उपमाएँ केवल वैचारिक आलोचना लगती हैं, लेकिन इनकी गहरी समस्या यह है कि वे दिव्यांगता को नकारात्मकता से जोड़ती हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश देती हैं कि दृष्टिबाधित होना या अंध होना, तर्कहीनता, मूर्खता या आलोचनात्मक सोच की अनुपस्थिति का पर्याय है।

यह एक प्रकार का सक्षमवाद है, जहाँ दिव्यांगता को एक कमी के रूप में देखा जाता है और भाषा के माध्यम से इसका उपहास किया जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति अपनी पहचान को तर्क या विवेक की कमी के रूप में नहीं देखते हैं; वे दुनिया को देखने और समझने के लिए विभिन्न संवेदी साधनों का उपयोग करते हैं। ऐसे में, किसी राजनीतिक समर्थक को अंध भक्त कहकर संबोधित करना न केवल उस समर्थक का अपमान है, बल्कि यह उन लाखों दृष्टिबाधित व्यक्तियों को भी अपमानित करता है जो अपने जीवन में पूरी तरह से सक्षम और विवेकशील हैं।

2. अंध भक्त का राजनीतिकरण और नैतिक जिम्मेदारी

पिछले कुछ वर्षों में, अंध भक्त शब्द का इस्तेमाल भारतीय राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता से हुआ है। यह अक्सर किसी विशेष नेता या दल के समर्थकों की आलोचना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस शब्द का राजनीतिकरण इसे और भी अधिक समस्याग्रस्त बना देता है।

सामाजिक प्रभाव: जब मीडिया, राजनेता या सार्वजनिक हस्तियाँ इस शब्द का लगातार उपयोग करते हैं, तो यह धीरे–धीरे समाज की सामान्य शब्दावली में शामिल हो जाता है। यह अनजाने में भी दिव्यांगता के प्रति असंवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। यह दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ एक नकारात्मक सामाजिक रूढ़िवादिता को मजबूत करता है, जिससे उनके सामाजिक समावेश में बाधा आती है। यह समाज में दिव्यांगों को कमतर या दयनीय के रूप में देखने की मानसिकता को भी बढ़ावा देता है, जबकि समावेशी समाज में उन्हें पूर्ण नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए।

नैतिक जिम्मेदारी: भाषा का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह ऐसी उपमाओं से बचे। लोकतंत्र में आलोचना आवश्यक है, लेकिन आलोचना की भाषा सम्मानजनक और समावेशी होनी चाहिए। किसी के तर्कहीन समर्थन की आलोचना करने के लिए किसी की शारीरिक स्थिति का उपहास करना या उसे नकारात्मकता से जोड़ना अनैतिक है।

3. अंध विश्वास और भाषाई शुचिता

अंध विश्वास वाक्यांश का प्रयोग भी उसी भाषाई समस्या से ग्रस्त है। इसका अर्थ होता है तर्क या प्रमाण के बिना विश्वास करना। यहाँ भी, अंध शब्द का उपयोग नकारात्मकता को दर्शाने के लिए किया गया है।

हमें यह समझना होगा कि किसी विश्वास का अंधा होना उसके अविवेकपूर्ण होने का कारण नहीं है; वह विश्वास अपने आप में अविवेकपूर्ण हो सकता है। यह कहकर कि "यह विचार तर्कहीन है" या "यह एक निराधार विश्वास है", हम सीधे उस विचार की आलोचना करते हैं, न कि किसी की शारीरिक स्थिति को नकारात्मकता से जोड़ते हैं।

विवेकपूर्ण भाषा का सिद्धांत: विवेकपूर्ण भाषा के उपयोग का सिद्धांत यह है कि हमें किसी व्यक्ति या समूह की पहचान (जाति, लिंग, दिव्यांगता, धर्म, आदि) को किसी नकारात्मक गुण (जैसे मूर्खता, कट्टरता, आलस्य) से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से हम जाने–अनजाने में पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देते हैं।

4. समावेशी संवाद के लिए वैकल्पिक भाषा

एक संवेदनशील और समावेशी समाज के निर्माण के लिए, हमें ऐसे वाक्यांशों के विकल्प तलाशने चाहिए जो हमारे विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, लेकिन किसी भी समुदाय का अपमान न करें। अंध भक्त और अंध विश्वास के लिए कुछ बेहतर विकल्प निम्नलिखित हो सकते हैं:–

अंध भक्त को कट्टर समर्थक, तर्कहीन अनुयायी, आँख मूंदकर अनुसरण करने वाला! अंध विश्वास को तर्कहीन विश्वास, निराधार आस्था, बिना प्रमाण के विश्वास।

इन विकल्पों का उपयोग करने से हमारा संवाद अधिक सटीक और अधिक नैतिक बनता है। हम किसी व्यक्ति की आलोचनात्मक सोच की कमी को दर्शाते हैं, न कि किसी शारीरिक अक्षमता को।

5. निष्कर्ष: भाषा, समाज और सम्मान

भाषा एक जीवित इकाई है जो समय के साथ विकसित होती है। एक संवेदनशील समाज के रूप में, हमें उन शब्दों को त्यागना होगा जो ऐतिहासिक रूप से या उपमा के रूप में किसी समूह के लिए अपमानजनक रहे हैं।

अंध भक्त और अंध विश्वास जैसे वाक्यांशों का बहिष्कार केवल भाषाई शुद्धता का मामला नहीं है; यह सामाजिक न्याय और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सम्मान का मामला है। हमें यह पहचानना होगा कि हमारी अनजाने में की गई भाषाई पसंद भी सामाजिक पूर्वाग्रहों को गहरा कर सकती है। एक समावेशी और लोकतांत्रिक विमर्श के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी भाषा को सचेत रूप से चुनें। आइए, हम ऐसी भाषा का उपयोग करें जो सभी नागरिकों के सम्मान को सुनिश्चित करे और दिव्यांगता को तर्कहीनता या मूर्खता के पर्याय के रूप में चित्रित करने वाली किसी भी उपमा से मुक्त हो। भाषा शक्ति है, और हमें इसका उपयोग विवेकपूर्ण, नैतिक और समावेशी तरीके से करना चाहिए।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

अलवर पुलिस ने सायबर जागरूकता साइकिल रैली निकाली

रैली में लोगों को बताया कि सायबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, सभी सतर्क रहें

- **'किसी अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर अपनी निजी जानकारी या बैंक डिटेल्स कभी शेयर नहीं करें'**
- **रैली में कई थानों के एसएचओ व पुलिस लाइन के जवान शामिल रहे और लोगों को जागरुक किया**

अलवर, (निसं)। अलवर पुलिस ने रविवार को सायबर जागरूकता साइकिल रैली निकाली। रैली के दौरान पुलिस ने लोगों को माइक से आवाज लगाकर बताया कि साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। किसी अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर अपनी निजी जानकारी या बैंक डिटेल्स कभी शेयर नहीं करें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत 190 नंबर पर कॉल करें या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। आजकल ठग फ्रॉड करने के नए–नए तरीके तलाश रहे हैं, लेकिन किसी भी अनजान को जानकारी नहीं देनी है।

रैली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) कांबले शरण गोपीनाथ (आईपीएस) की अगुआई में निकाली गई। रैली सुबह नौ बजे पुलिस लाइन अलवर से शुरू होकर घोड़ा फेर, आर.आर. कॉलेज, नेहरू गार्डन, नंगली सर्किल, बिजलीघर चौराहा, भगत सिंह सर्किल, काशीराम चौराहा, घंटाघर, होप सर्कस, पुलिस कंट्रोल रूम, अशोका टॉकीज होते हुए फिर से पुलिस लाइन पर खत्म हुई।

इस अवसर पर एएसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि अक्टूबर नेशनल सायबर सिक्योरिटी माह है और उसके अंतर्गत अलवर पुलिस अलग–अलग तरीके से सायबर के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है कि सायबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है और आजकल किस तरह की सायबर फ्रॉड एक्टिव है और फ्रॉड होने के बाद आप कहां–कहां शिकायत कर सकते हैं, जिसको लेकर ये रैली निकाली गई, इसमें कई थानों के एसएचओ व पुलिस लाइन के जवान शामिल रहे।

ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों को राहत मिली

- **शिविर में 14 विभागों ने आमजन का कार्य सम्पादित किया और मौके पर ही लोगों को राहत पहुंचाई**

भीलवाड़ा, (निसं)। ग्रामीण सेवा शिविर ग्राम पंचायत फूलियाकलां में आयोजित किया गया। उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां ओमप्रकाश, तहसीलदार फूलियाकलां रामदेव धाकड़, कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति शाहपुरा एवं प्रशासक ग्राम पंचायत फूलियाकलां के दिशा–निर्देशन में 14 विभागों ने आमजन का कार्य सम्पादित किया और मौके पर ही लोगों को राहत पहुंचाई।

शिविर के दौरान ग्राम फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां निवासी प्रार्थी नानूराम पुत्र रूघनाथ एवं लालीदेवी पत्नी धनराज बैरागी ने ग्राम फूलियाकलां स्थित अपनी सह खातेदारी भूमि खसरा संख्या 4694, 4695, 4698 की आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां ने तत्काल तहसीलदार फूलियाकलां को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। तहसीलदार फूलियाकलां के निर्देशानुसार राजस्व टीम द्वारा भी तत्परता से प्रार्थियों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए आपसी समझाइश एवं सहमति से विभाजन प्रस्ताव मौके पर ही बनाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति विभाजन के आदेश जारी किये जाकर प्रार्थीयों को राहत प्रदान की और वर्षों पुरानी समस्या का मौके पर ही समाधान किया। सहमति से खाता विभाजन होने पर प्रार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और राज्य सरकार तथा पूरे प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस प्रकार ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीण कृषको को उनके अधिकार दिलाने में सफल हुआ तथा यह केम्प उनके लिए वरदान साबित हुआ।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 27 अक्टूबर, 2025

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र दिन 1:28 तक, अतिगंड योग प्रात: 7:26 तक, कौलव करण सायं 7:02 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–तुला, चन्द्रमा–धनु, मंगल–तुला, बुध–वृश्चिक, गुरू–मिथुन, शुक्र–कन्या, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से दिन 1:28 तक है। रवियोग दिन 1:28 से 10:47 तक है। आज सूर्य षष्ठी व्रत दूसरा दिन है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:00 तक, शुभ 9:24 से 10:47 तक, चर 1:34 से 2:58 तक, लाभ अमृत 2:58 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 6:37, सूर्यास्त 5:44 तक

मेष

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

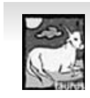

वृष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

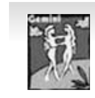

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय समाप्त होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

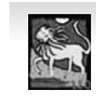

सिंह

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव–प्रभुत्व बढ़ेगा।

कन्या

परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी।

तुला

व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

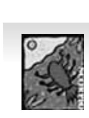

वृश्चिक

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में यात्रा संभव है। घर–परिवार में महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सोच–विचार हो सकता है।

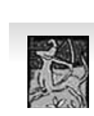

धनु

व्यावसायिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मकर

आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

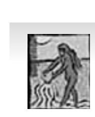

कुंभ

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

मीन

नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना बनेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित–द्द सोच–विचार हो सकता है।